1063
21/3/14

77

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

फाल्गुन 12, सोमवार, शाके 1935–मार्च 3, 2014
Phalguna 12, Monday, Saka 1935 March 3,2014

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (II)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 25, 2014

एस.ओ. 193 :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 2 के खण्ड (ज) के अनुसरण में राज्य सरकार, उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों को स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात :–

(क) राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में सरकार, और

(ख) जिला परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में संबंधित जिला परिषद्।

राज्यपाल के आदेश से,
रामचन्द ढेनवाल,
संयुक्त शासन सचिव।

76

Elementary Education (Plan) Department

Notification

Jaipur, February 25, 2014

S.O. 193 :- In pursuance of the clause (h) of section 2 of the Right of Children to Free And Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government, hereby notifies the following authorities to act as Local Authority for the purpose of the said Act and rules made there under, namely : -

(a) in relation to the schools under administrative control of the Education Department of the State Government, the Government, and

(b) in relation to the schools under administrative control of Zila Parishad, the Zila Parishad concerned.

By Order of the Governor,

रामचन्द्र ढेनवाल,

Joint Secretary, to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प. 21(19)शिक्षा–1/प्राशि/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 14-05-2014

:: परिपत्र ::

राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 9 मे उल्लेखित कार्यो के लिए स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 25.02.2014 को जारी की जा चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा स्थानीय प्राधिकारी के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए दायित्व निर्धारित किए जाने के निर्देशों की पालना में पंचायतीराज विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों के लिए अधिसूचित स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व संलग्न परिशिष्ठ "अ" में जारी किए जा रहे है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(आर. सी. ढेनवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त सचिव/अवर सचिव/आर्थिक सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली को पत्रांक F.No. 2-44/2013=E.E. 3 दिनांक 31.01.2014, 12.02. 2014, 26.02.2014, 27.02.2014 एवं दिनांक 25.03.2014 के क्रम में।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
5. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
6. आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स ।
8. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
9. संयुक्त शासन सचिव, प्रा.शि./शासन उप सचिव–प्रथम/तृतीय/शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा विभाग।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
12. सहायक निदेशक (योजना) निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
13. कार्यालय प्रति।

(जी. डी. नागर)
सहायक शासन सचिव

आरटीई अधिनियम 2009 की पालना में अधिसूचित स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व

क.सं.	अधिनियम की धारा	अधिनियम की धारा 9 के अनुसार दायित्व	पंचायत राज के अधीन संचालित विद्यालयों के लिए		शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों के ि	
			जिले के अन्तर्गत विद्यालयों के लिए	ब्लॉक के अन्तर्गत विद्यालयो के लिए	जिले के अन्तर्गत विद्यालयों के लिए	ब्लॉक के अन्तर्गत विद्यालये लिए
1	धारा 9 (क)	प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना:	संबंधित जिला परिषद	संबंधित पंचायत समिति	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
2	धारा 9 (ख)	धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना,	संबंधित जिला परिषद राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करेगी	संबंधित पंचायत समिति जिला परिषद को प्रस्ताव प्रेषित करेगी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निदेशक, प्रा.शि. को प्रस्ताव प्रेषित करेगी	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्ताव करेंगे।
3	धारा 9 (ग)	दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक के प्रति पक्षपात न होने देने तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने ओर पूरा करने का निवारण न होना सुनिश्चित करना,	संबंधित जिला परिषद	संबंधित पंचायत समिति यह कार्य एसएमसी के माध्यम से सुनिश्चित करेगी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह एसएमसी के माध्यम से सुनि करेगा
4	धारा 9 (घ)	अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिलेख संधारण करना,	संबंधित जिला परिषद	संबंधित पंचायत समिति यह कार्य एसएमसी के माध्यम से सुनिश्चित करेगी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह एसएमसी के माध्यम से सुनि करेगा
5	धारा 9 (ड)	अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करना सुनिश्चित करना,	संबंधित जिला परिषद	संबंधित पंचायत समिति यह कार्य एसएमसी के माध्यम से सुनिश्चित करेगी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह एसएमसी के माध्यम से सुनि करेगा।
6	धारा 9 (च)	आधारभूत संरचना, जिसके अन्तर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारीवृंद और शिक्षा सामग्री भी है, उपलब्ध कराना,	संबंधित जिला परिषद राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करेगी।	संबंधित पंचायत समिति जिला परिषद को प्रस्ताव प्रेषित करेगी।	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निदेशक, प्रा.शि. को प्रस्ताव प्रेषित करेगें।	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्ताव करेंगे।

संयुक्त शासन सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)
शासन सचिवालय, जयपुर

7	धारा 9 (छ)	धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना,	संबंधित जिला परिषद, एसएसए के सहयोग से ।	संबंधित पंचायत समिति यह कार्य एसएमसी के माध्यम से एसएसए के सहयोग से सुनिश्चित करेगी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, एसएसए के सहयोग से ।	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह एसएमसी के माध्यम से एसएस सहयोग से सुनिश्चित करेगा।
8	धारा 9 (ज)	अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मापमान के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी क्वालिटी सुनिश्चित कराना	संबंधित जिला परिषद राज्य सरकार के निर्देश से कार्य पूर्ण करेगी।	संबंधित पंचायत समिति, जिला परिषद एवं एसएमसी के सहयोग से कार्य पूर्ण करेगी।	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निदशक, प्रा.शि. /मा.शि. के निर्देश से कार्य पूर्ण करेगा	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी एवं एसएमसी सहयोग से कार्य पूर्ण करेगा
9	धारा 9 (झ)	प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करना,	संबंधित जिला परिषद	संबंधित पंचायत समिति यह कार्य एसएमसी के माध्यम से सुनिश्चित करेगी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह एसएमसी के माध्यम से सुनि करेगा
10	धारा 9 (–ा)	शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना,	संबंधित जिला परिषद, एसएसए /डायट के सहयोग से	संबंधित पंचायत समिति एसएसए /डायट के सहयोग से	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एसएसए /डायट के सहयोग से	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एस /डायट के सहयोग से
11	धारा 9 (ट)	प्रवासी कुटुंबी के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना,	संबंधित जिला परिषद, एसएसए के सहयोग से	संबंधित पंचायत समिति एसएसए के सहयोग से	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एसएसए के सहयोग से	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एस के सहयोग से
12	धारा 9 (ठ)	अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालय के कार्य को मॉनीटर करना,	संबंधित जिला परिषद	संबंधित पंचायत समिति यह कार्य एसएमसी के माध्यम से सुनिश्चित करेगी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह एसएमसी के माध्यम से सुनि करेगा
13	धारा 9 (ड)	शैक्षणिक कलैण्डर का निश्चय करना	संबंधित जिला परिषद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कलैण्डर की पालना करायेगी	संबंधित पंचायत समिति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कलैण्डर की पालना करायेगी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कलैण्डर की पालना करायेगा	संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित कलैण्डर पालना करायेगा

संयुक्त शासन सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)
शासन सचिवालय, जयपुर